न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 234/2015 वाद

मु0 खैरून पिता कासम शाह फकीर मुसलमान, आयु 55 साल, निवासी अरनोदा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीया

//बनाम//

1. अब्दुल सलीम पिता कासम शाह फकीर, आयु 55 साल, निवासी अरनोदा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. बद्रीलाल पिता मदनलाल महाजन, आयु 65 साल, निवासी मैवासा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद

अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0

श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित

निर्णय दिनांक– 31.01.2018

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीया ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, रा0का0अधि0 का प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि वाके मौजा अरनोदा की खाता संख्या 9 की आराजी नं. 88 रकबा 2.3900 हेक्टेयर, खाता संख्या 5 की आराजी नं. 89, 224 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7500 हेक्टेयर, खाता संख्या 183 की आराजी नं. 215 रकबा 2.9000 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह वादीया की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात होकर वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त कब्जा है। दोनों सगे भाई बहन होकर कासम शाह की जाइन्दा औलादें हैं जिसमें कासम शाह के कब्जे व खातेदारी की आराजीयात में वादीया का 1/2 तथा अब्दुल सलीम का 1/2 हक हिस्सा होने से वादीया 1/2 हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारी हैं। विवादित आराजीयात में खाता संख्या 183 की आराजी नं. 215 रकबा 2.9100 हैक्टेयर में वादीया के पिता के मरने के बाद विरासत से वादीया का नाम दर्ज हो गया परन्तु अन्य खाते में प्रतिवादी संख्या 1 ने बदयान्ति से मात्र अपना नाम दर्ज करा लिया तथा वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से रह गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी नं. 88 में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए सम्पूर्ण दर्ज हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दिया जबकि मौके पर वादीया का शामलाती कब्जा होकर हक अधिकार है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीया का विवादित आराजी नं. 215 में 29/230 हक हिस्सा, आराजी नं. 89, 224 में 1/4 हिस्सा तथा आराजी नं. 88 में 1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर खातेदारी में दर्ज किया जावे। वादीया को यदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपने कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल कर दिया जावे तो वापस कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जवाब दावे में प्रतिवादीगण ने अंकित किया की वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 कासम शाह की संतान होकर भाई बहन हैं परन्तु मुस्लिम विधि में पुश्तैनी सम्पत्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वादीया का 1/2 हिस्सा होना स्वीकार नहीं। ना ही मौके पर कोई शामलाती कब्जा है। सजरा अपूर्ण है। कासम शाह की मृत्यु लगभग 35-40 साल पूर्व हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के समय उनकी पत्नी हुसैना बी तथा पुत्रीयां वादीया के अलावा सकीना बी भी थी। कासम शाह ने अपने जीवनकाल में ही अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति को प्रतिवादी संख्या 1 को मुस्लिम विधि अनुसार जुबानी हिबा कर दिया था इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का अपने पिता के जीवनकाल से ही उनकी चल अचल सम्पतित पर कब्जा चला आ रहा है इसलिए वादीया विवादित भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने की अधिकारी नहीं है। आराजी नं. 88 में भी वादीया का 1/4 हिस्सा गलत रूप से अंकित हो गया है। देवीलाल व बद्रीलाल को किया गया विक्रय सही है। वादीया को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त कराने के लिए राजस्व न्यायालय कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकते। इस हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वादीया का दावा मय खर्चा खारीज किया जावे।

विशेष कथन में प्रतिवादी ने अंकित किया की कासम शाह ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति सलीम शाह को जुबानी हिबा कर दी थी। इसलिए विवादित सम्पत्ति वादीया की सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। इस कारण वादीया अब कोई आपत्ति करने की अधिकारीणी नहीं है। कासम शाह की एक पुत्री सकीना बी और थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है परन्तु उसके वारिसान को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव में उक्त वाद चलने योग्य नहीं है।

काउण्टर क्लेम में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि जुबानी हिबा के आधार पर विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित हुआ और रेकार्डेड खातेदार हैं इसलिए काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीया को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

तारीख पेशी पर वादीया मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से वादीया का दावा अदम हाजरी में खारीज किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने काउण्टर क्लेम के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में अब्दुल सलीम पिता कासम शाह, युसूफ पिता निसार शाह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये।

दस्तावेजी साक्ष्य में पत्रावली पर मौजा अरनोदा की खाता संख्या 5, 9, 183 की नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 की प्रमाणित प्रतियां, मिलान खसरा, नक्शा ट्रेस तथा मौजा अरनोदा की संवत 2054–57 खाता संख्या 249 संवत 2050–53 खाता संख्या 265, संवत 2033–36 खाता संख्या 313, संवत 2058–61 खाता संख्या 163 व 168 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है । प्रस्तुत जमाबन्दीयों अनुसार मोजा अरनोदा की खाता संख्या 5 में अब्दुल सलीम पिता कासम शाह फकीर का 1/2, खाता संख्या 9 में बद्रीलाल पिता मदनलाल महाजन का 1/2 तथा खाता संख्या 183 में अब्दुल सलीम व खैरून का संयुक्त रूप से 58/230 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार को अपने हक हिस्से की भूमि पर हर प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। चूंकि वादीया का दावा खारीज हो चुका है इसलिए भी प्रतिवादीगण को काउण्टर क्लेम स्वीकार योग्य है।

अतः प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम कतई डिक्री किया जाता है। वादीया खैरून को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया मौजा अरनोदा की खाता संख्या 5, 9 व 183 में प्रतिवादीगण के राजस्व रेकार्ड में दर्ज व कब्जे की भूमि पर किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा